TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 16th JANUARY, 1998

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

*****

New Delhi the 16th January, 1998

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O.92(E) dated the 2nd February, 1996 issued under sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, Girnar Development/Drinking Water Project at Mount Girnar, Junagadh District, Gujarat of Shree Neminath Bhagwant Public Trust C/O K.T. Hemani and Co., Toran, Limada Chowk, Subhash Road, Rajkot-1, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1996-97;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond two years;

AND WHEREAS the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Girnar Development/Drinking Water Project at Mount Girnar, Junagadh District, Gujarat of Shree Neminath Bhagwant Public Trust C/O K.T. Hemani and Co., Toran, Limada Chowk, Subhash Road, Rajkot-1, at the estimated cost of rupees One hundred fifty lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of two assessment years commencing from assessment year 1998-99.

(V.K. SEHGAL)
Deputy Secretary to the Government of India

No. 10510
F.No. NC-153/97

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड§ii§
में दिनांक 16 जनवरी, 1998 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी, 1998

अधिसूचना

सां0आ0 §अ§ जबकि आयकर अधिनियम, 1961 §1961 का 43§ की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड§ख§ के साथ पठित उपधारा §1§ के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 2 फरवरी, 1996 की अधिसूचना सं0 का0आ0 92§अ0§ के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं0 2 पर श्री नेमी नाथ भागवन्त सार्वजनिक न्यास, मार्फत के0टी0 हेमानी एण्ड कं0, तोरण, लिमादा चौक, सुभाष रोड, राजकोट-1 की माउंट गिरनार, जिला-जूनागढ़ , गुजरात में गिरनार विकास/पेयजल परियोजना को एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1996-97 से आरम्भ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था ।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम की अवधि दो वर्षों से अधिक अवधि तक बढ़ाए जाने की संभावना है ।

और जबकि राष्ट्रीय समिति ने, यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजन अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से चलाई जा रही है, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11-ड के उप नियम §5§ के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम के आगे और दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ,

अत: अब आयकर अधिनियम 1961 §1961 का 43§ की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड §ख§ के साथ पठित उपधारा §1§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केवल एक सौ पचास लाख रूपए की अनुमानित लागत पर श्री नेमी नाथ भागवन्त, सार्वजनिक न्यास, मार्फत के0टी0 हेमानी एण्ड कम्पनी, तोरण, लिमादा चौक, सुभाष रोड, राजकोट-1 की माउंट गिरनार, जिला-जूनागढ़ , गुजरात में

.....2/...

गिरनार विकास/पेयजल परियोजना या स्कीम को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1998-99 से आरम्भ होने वाले वर्ष से आगे दो निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

(वी0के0 सहगल)
उप सचिव, भारत सरकार

10510

फा0सं0 एन0सी0-153/97